न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–74 सन् 2015

विनय कुमार सिंह वो अन्य.............................वादी।

बनाम

बनारसी राय वो अन्य...............................प्रतिवादीगण।

दिनांक–01.12.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 23.09.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वर्णित वाद के प्रतिवादी सं0 01 बनारसी राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.07.2022 को अपने चार जीवित पुत्र क्रमशः सत्येन्द्र राय, जितेन्द्र भारती, हरेन्द्र प्रसाद वो सुनिल कुमार को छोड़कर अपने निवास मौजा– शाहपुर दियरा, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को मृत्यु को प्राप्त हुए। वाद में उनके पक्ष में प्रस्तुतीकरण के लिए उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित होना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी 01 का नाम विलोपित करते हुए उनके कानूनी वारिसानों का नाम कलमबद्ध कर दिया जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 01.12.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी का उक्त आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि काबिल खारिज के है। प्रतिवादी सं0 01 के कानूनी वारिसान पांच पुत्र तथा एक पुत्री आते हैं जिसमें एक पुत्र रविन्द्र राय के मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी व पुत्र उनके वारिसान हैं। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन अधूरा वो अपूर्ण है। वादी का आवेदन सी0पी0सी0 के अंतर्गत सभी जायज वारिसानों का नाम दिया जाना अनिवार्य हैं जिस कारण वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 23.09.2022को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 बनारसी राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.07.2022 को अपने जायज वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है जो शपथ पत्र के साथ समर्पित है तथा समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 23.09.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..........................को सुनवाई हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।